



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

8W
27/11

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-Section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 611] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 1989/आश्विन 5, 1911
No. 611] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 1989/ASVINA 5, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

मादेश

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1989

क्र.घा. 763(घ) :- स्वायत्त शीघ्र प्रथम और मल-प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 क की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रस्ताव शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नार्कोटिक्स, राजस्व

भासूचना, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना भूरो तथा नार्कोटिक्स नियन्त्रण भूरो के विभागों में निरीक्षक के स्तर के अधिकारियों तथा उनसे ऊँचे रैंक के अधिकारियों को उक्त अधिनियम के तहत किसी अपराध के सम्बन्ध में विशेष न्यायालयों के समक्ष शिकायतें दाखल करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. 13/89-आ.सं. 664/99/89-अफीम]

ए. सी. सल्दाना, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 27th September, 1989

S.O. 763 (E) :—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 86A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby authorises the officers of and above the rank of Inspector in the Department of Customs, Central Excise, Narcotics, Revenue Intelligence, Central Economic Intelligence Bureau and the Narcotics Control Bureau under the Ministry of Finance, Government of India for filing of complaints relating to an offence under the said Act before Special Courts.

[No. 13/89-F. No. 664/99/89-OPIUM]

A. C. SALDANHA, Addl. Secy.